भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 913

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर

**खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जांच किया जाना**

913. **श्री सुखेन्दु शेखर राय:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्ष 2014-15 की वार्षिक सार्वजनिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि वर्ष के दौरान जांची गयी 492590 वस्तुओं में से 1/5 वस्तुओं में मिलावट पाई गई थी/या ब्रांड गलत पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे किसी विनिर्माता या मिलावटी खाद्य और पेय उत्पादों के विक्रेता के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क): एफएसएसएआई द्वारा दिनांक 30.04.2015 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना से पता चलता है कि दिनांक 30.04.2015 तक राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान 49290 नमूने लिए गए थे। वर्ष 2014-15 के लिए एफएसएसएआई के पास उपलब्‍ध नवीनतम सूचना अनुलग्‍नक में दी गई है।

(ख): ब्‍यौरे अनुलग्‍नक में दिए गए हैं।

(ग): राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा लाइसेंस रद्द करने और गिरफ्तार करने से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्‍तर पर नहीं रखे जाते हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

|  |
| --- |
| **वर्ष 2014-2015 के लिए वार्षिक सार्वजनिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट** |
| क्रम सं. | **राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम** | **लिए गए नमूनों की कुल सं.** | **विश्लेषित नमूनों की सं.** | **मिलावटी और बिना ब्रांड के पाए गए नमूनों की सं.**  | **प्रारंभ किए गए मामलों की सं.**  | **दोषी करार/दंड की सं.** |
| **आपराधिक**  | **सिविल**  | **दोषी करार**  | **लगाया गया दंड/ राशि रुपए में**  |
|  | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 /4,55,000 रु.  |
|  | आंध्र प्रदेश | 2788 | 2788 | 290 | 338 | 78 | 0 | 51,63,020 रु. |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 292 | 258 | 29 | 2 | 14 |  | 7 |
|  | असम \* | 327 | 327 | 37 | 12 |  | 4 |  70,000 रु. |
|  | बिहार | 1763 | 1320 | 7 |  | 16 |  | 5 / 38,000 रु. |
|  | चंडीगढ़ | 102 | 102 | 5 | 5 |  |  | 1,50,000 रु. |
|  | छत्तीसगढ़ | 133 | 133 | 27 | 14 | 41 |  |  16 |
|  | दादरा एवं नगर हवेली  | 9 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | दमन और दीव | 65 | 65 | 3 |  | 3 |  | 3 / 30,000 रु. |
|  | दिल्ली |  | 1480 | 148 |  |  |  |  |
|  | गोवा  | 798 | 800 | 81 | 1 | 4 | 4 | 4,35,000 रु. |
|  | गुजरात \* | 5638 | 5471 | 522 | 41 | 47 | 26 | 20,93,500 रु. |
|  | हरियाणा \* | 989 | 989 | 105 | 08 | 114 | 6 | 1,500 रु. |
|  | हिमाचल प्रदेश \* | 218 | 132 | 31 | 24 | 28 | 25 | 22,93,000 रु. |
|  | जम्मू-कश्मीर \* | 1397 | 1211 | 236 | 8 | 195 | 133 | 11,08,300 रु. |
|  | झारखंड \* | 389 | 232 | 51 | 22 | 3 |  |  |
|  | कर्नाटक | 2154 | 2110 | 311 | 56 |  |  | 42 |
|  | केरल | 3085 | 2735 | 464 | 41 | 161 | 0 | 280 /72,39,700 रु. |
|  | लक्षद्वीप |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मध्य प्रदेश | 9532 | 9131 | 1412 | 127 | 716 | 418 | 418 /43,28,000 रु. |
|  | महाराष्ट्र | 8663 | 6985 | 1162 | 869 | 1426 | 75 |  1,65,41,499 रु. |
|  | मणिपुर |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मेघालय | 47 | 34 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1/10,000 रु. |
|  | मिजोरम |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नगालैंड | 83 | 83 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ओडिशा | 544 | 544 | 112 | 0 | 1 |  | 1 |
|  | पुडुचेरी \* | 972 | 972 | 30 |  | 1 |  |  |
|  | पंजाब \* | 4124 | 3949 | 577 | 220 |  | 161 | 24 |
|  | राजस्थान \* | 3132 | 3031 | 747 | 158 | 222 | 116 | 8,45,500 रु. |
|  | सिक्किम |  |  |  |  |  |  |  |
|  | तमिलनाडु | 2939 | 2873 | 1047 | 64 | 486 | 203 | 34,99,700 रु. |
|  | तेलंगाना | 393 | 357 | 37 |  | 87 |  | 51 /17,57,100 रु. |
|  | त्रिपुरा | 933 | 933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | उत्तर प्रदेश | 14,173 | 9605 | 4119 | 161 | 3489 | 186 | 1738 /5,98,08,106रु. |
|  | उत्तराखंड | 1971 | 1356 | 233 | 5 | 117 | 0 | 80 /5,06,489 रु. |
|  | पश्चिम बंगाल | 120 | 120 | 65 | 0 | 17 | 0 | **1/ 30,000**रु.  |
|  | **कुल:** | **68,197** | **60,548** | **12,077** | **1989** | **7241** | **1355** | **2682/10,64,03,414**रु. |

 \* आंकड़े 30/09/2014 तक